

शिवराज का देरी से उठाया गया सही कदम

मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उस मसौदे को मंजूरी दे दी जिसमें लोक सेवकों द्वारा अनैतिक तरीकों से कमाई गई करोड़ों अरबों की संपत्ति राजसात की जा सकेगी इस हेतु 'मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक 2011' के नाम से अगली विधानसभा में प्रस्तुत कर इसे मंजूर करवाकर कानूनी रूप दिया जायेगा। शिवराज सिंह अब भ्रष्टाचार के मामले में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति की घोषणा इस नये कानून के माध्यम से कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत सभी लोकसेवक चाहे वे निर्वाचित विधायक हों, शासकीय अधिकारी हों या शासन के धन पर चलने वाले संस्थानों में कार्यरत हों, अगर उनके पास गैर अनुपातिक संपत्ति, राजसात होगी, और राजसात की गई करोड़ों-अरबों की संपत्ति को स्कूलों तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया जा सकेगा। लाये जाने वाले नये विधेयक में मुख्यमंत्री से सरपंच तक मुख्य सचिव से लेकर पंचायत सचिव तक नेता अफसर सब आयेंगे, भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए विशेष न्यायालय गठित होंगे, विशेष न्यायालयों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अथवा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त होंगे, इन न्यायालयों के आदेशों की अपील केवल उच्च न्यायालय में ही सकेगी। न्यायालय एक वर्ष के अंदर प्रकरण पर फैसला देंगे। पूर्व और वर्तमान लोक-सेवकों के पूर्व में दायर मामले नये न्यायालयों में हस्तांतरित किये जायेंगे।

शिवराज सिंह की मनसा साफ है वे अब भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर हिर हेंगे और जहां दस-बीस लोग इस दायरे में आये कि एक भय व्याप्त होगा जो खुल्लम-खुल्ला दुकानें चल रही है वे रुक जायेगी, इस विधेयक के लाने के बाद खुला भ्रष्टाचार नहीं हो पायेगा, आज तो सबसे कड़वा सच यह है कि अधिकारी व जनप्रतिनिधि लैन-देन से डरते नहीं क्योंकि उसका कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलता, कई ऐसे विधायक और चमचे हैं जो पैसा लेकर काम भी नहीं करते और पैसा लौटाना उनकी शैली में नहीं है। विधेयक लाना तो आसान था जो लाया जा रहा है लेकिन भ्रष्टाचार को प्रमाणित करना कठिन कार्य है, परन्तु अधिकारी और लोक सेवकों की दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ी संपत्ति साफ दिखाई देती है। प्रारंभ में जब म.प्र. का गठन हुआ उसमें जो एक मात्र मंत्री जीवित हैं श्री दशरथ जैन वे विध्यप्रदेश में भी मंत्री थे और प्रथम मंत्रिमंडल में भी मंत्री रहे पर कार क्या एक दुपहिया वाहन भी खरीद नहीं सके, पर पिछले तीस वर्ष में भ्रष्टाचार की बेल इतनी तेजी से बढ़ी कि सरपंच होते ही कार, जिला पंचायत के अध्यक्ष होते ही कार, अपना बंगला, फिर विधायक जो राज्य परिवहन की आगे की सीट पर बैठकर यात्रा करते थे पर आज हर विधायक पहले दिन विधानसभा में जब आते हैं तो बेलोरो कार पर आते हैं, उनकी क्षेत्र भर के ठेकों में सहभागिता होती है और पांच वर्ष में विधायक निधि के कमीशन तथा ट्रांसफर प्रमोशन के काम करवाकर धन बढ़ाते हैं और पांच साल में कई करोड़ के मालिक हो जाते हैं। इस विधेयक की सबसे बड़ी खूबी है कि खूब कमाने पर फट पड़े पेट बतला देंगे कि लोकसेवक के पास इतना धन आया तो आया कैसे वह गैर अनुपातिक संपत्ति राजसात की जायेगी और हम अगर इसमें सफल हो गये तो शिवराज सरकार का नाम स्वर्णक्षरों में लिखा जायेगा। बहरहाल शिवराज जी का बहुत देरी से उठाया गया सही और ठोस कदम है जिससे प्रांत की जनता की तो राहत मिलेगी ही परन्तु राजकोष में इजाफा होगा, सांप-सीढ़ी के खेल की तरह भ्रष्टाचारी 99 पर पहुंच कर पुनः सड़क पर आ जायेगा। (विनीत खरे)

विधायक को राजकीय सम्मान शर्मनाक है

धरती का धीरज भी कभी-कभी अपना संयम खो देता है और भूचाल आ जाता है। अबला कहीं जाने वाली औरत सदियों से से प्रताड़ित होती चली आ रही है। उसे धरती की उपमा देते हैं शायद इसलिए कि वह पैरो से रौंदी, कुचली जाए, धरती का सीना चीर कर कभी अन्न तो कभी निर्मल जल लेते रहे हम पर उसकी चित्कार उसका दर्द क्या कभी महसूस किया हममें से किसी ने यही हाल नारी का रहा जिस पुरुष जाती को नौ माह गर्भ में रख जन्मदेती है, असह्य पीड़ा सहन करती है वह उसी पुरुष जात द्वारा वह बार-बार प्रताड़ित होती है धर्मग्रन्थों में उसे-

ढोर-गंवार, शूद्र पशु नारी

ये सब सकल ताड़न के अधिकारी

कह कर जानवर से तुलना कर ताड़ना का पात्र बना दिया जाता है तो कभी उसे अबला जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी, अंचल में दूध, आंखों में पानी कहकर इति कर ली जाती है। जिस देश में कहीं नारी को दुर्गा-लक्ष्मी-सरस्वती रूपा कहकर पूजित किया जाता हो तो कहीं पशु मान प्रताड़ित किया जाता हो वह नारी आधुनिक सभ्य समाज में आज मात्र यौन शोषण की वस्तु बन गई है। एक तरफ तो हम महिला सशक्तिकरण का नारा लगा रहे हैं तो दूसरी ओर समाज का विशेषकर्ता उसे अपनी हडबस का शिकार बना रहा है। आज यौन शोषण की शिकार 5 वर्ष की उम्र से बुजुर्ग महिला तक होती है, यह मानसिक विकृति पूरे समाज में व्याप्त है। बिहार में एक स्कूल संचालिका जो निश्चित ही पढ़ी-लिखी महिला होगी, स्वयं भाजपा की कार्यकर्ता भी है उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायक की हत्या की क्या दर्शाता है उसका यह कृत्य ? कोई महिला यू ही हथियार नहीं उठाती। एक बुद्धिजीवी महिला अपने साथ हुए यौन शोषण को जब न्यायालय तक लेकर जाती है तब कितनी मानसिक पीड़ा उसने सही होगी ? उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिलता एक दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति विधायक बन जाता है और विगत चार वर्षों से वह प्रताड़ित हो रही थी उसने कुछ दिनों पहले ही विधायक को थप्पड़ भी मारा था। पीड़िता यह सब सहन करती रहती है। आखिर उसका धैर्य टूट जाता है। वह जब न्याय की चौखट से निराशा होती है जब वह दुर्गा बनती है। स्मिता पाटील की एक फिल्म थी मिर्च मसाला अन्धान मिमता का पात्र सामने नजर आता है वह भी इसी तरह प्रतिकार कर उठती है फर्क इतना है कि उसमें वह कुछ महिलाओं को साथ लेती है यहाँ रूपम अकेले दुर्गा बन जाती है अगर अपने साथ हुए शोषण का उसने इस तरह से प्रतिकार किया तो इसके जबाबदार आखिर कौन है ? रूपम जिस तरह से ब्लैकमेल होती रही और सहन करती रही किन्तु उसका धीरज उस समय आखिर टूट ही गया जब एक मां से बेटी के लिए भी यही सब करने की धिनोनी बात कही गई आखिर एक हिरणी भी सिंह के सामने अपने छीने को बचाने के लिए आगे आ जाती है और इस हिरणी ने एक बहुबली की हत्या कर दी। भगवान से प्रार्थना है की आगे इस तरह की घटनाएं न घटे और अगर घटती है तो एक नहीं अनेक रूपम जन्म ले और बालात्कारी राक्षसी का संहार करें। शर्मनाक बात यह है कि पहले पुलिस ने उसे सहयोग नहीं दिया फिर न्याय भी नहीं मिला अब मुख्यमंत्री नीतिश और भाजपा के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी एक अपराधी और बलात्कारी के पक्ष में सामने आ रहे हैं हद्द तो यह है कि बलात्कारी विधायक को राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार के प्रबंध किये जा रहे हैं। क्या हमारा राजकिय सम्मान इतना गिर चुका है कि इस तरह के लोगों को प्राप्त हो ? क्या हमारा तिरंगा जो देश के शहीदों का सुनहरा बाना हुआ करता है वह किसी बलात्कारी के मृत्युदेह पर डाला जाये। यह राजकीय सम्मान का ही नहीं अपितु राष्ट्रध्वज का भी अपमान है जो बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह घटना आगे समाज के उन धिनोने लोगों के लिए एक चेतावनी भी है कि नारी चुप नहीं बैठेगी अपने अपमान का बदला लेगी। अब जबकि नीतिश कुमार ने उच्चतरिय जांच की घोषणा की है तब विधायक की हत्या की ही नहीं बल्कि हत्या के कारणों की ओर उस आरोप की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जो वीरगंगा महिला ने विधायक पर लगाया है। (ऋचा अनुरागी)